

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II —Section 3 —Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 1979/फाल्गुन 2, 1900
No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 21, 1979/PHALGUNA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1979

क्र. आ. 105(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा जिसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

मध्य प्रदेश राज्य में खंडवारसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में लोक सभा के लिए निर्वाचन/निर्वाचनों के मंत्रालय नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व

श्रीधनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में घोषणा करता

श्री कुशाभाऊ ठाकरे
द्वारा श्री के. एन. गद्रे, अधिवक्ता,
खंडवा

श्री परमानन्द ठाकुरदास गोविन्दजीवाला की मृत्यु के कारण उस सदन में हुए रिक्त स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

दिनांक, 7-2-1979

निर्मल एन. एन्ड्रयूस्, रिटर्निंग ऑफिसर,

34-खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

[सं. एफ. 13(2)/79-वि. 2]

ई. वेंकटेश्वरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 1979

S.O. 105(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information :—

DECLARATION

Election to the House of the People from 34-Khandwa Parliamentary Constituency in the Madhya Pradesh.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Kushabhau Thakre
C/o Shri K. N. Gadre, Advocate,
Khandwa

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the Death of Shri Parmanand Thakurdas Govindjiwala.

Place : Khandwa, M.P.

Dated : 7-2-1979

Sd/-

NIRMAL N. ANDREWS, Returning Officer,

34-Khandwa Parliamentary Constituency.

[No. F. 13(2)/79-Leg. II]

E. VENKATESWARAN, Jt. Secy.